हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 42

मंगलवार, 27 फरवरी, 2024/8 फाल्गुन, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1239(स्थगित) तथा 1579 व 1580 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्नः 1581, 1584, 1586, 1587, 1590, 1592, व 1594 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1582 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा नगर एवं ग्राम योजना मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1585 व 1597 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1593 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा कृषि मंत्री(प्राधिकृत) व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्नः 1583, 1588, 1589,1591, 1595 व

1596 पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1598 से 1621 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 689 से 709 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री विनोद कुमार, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से ब्लूम्स (Blooms) बी.एड. कॉलेज के बच्चों के फर्स्ट समैस्टर के एग्जाम की तिथियां निर्धारित हो जाने के बावजूद अभी तक इन बच्चों के रोल नम्बर न मिलने बारे विषय उठाया।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) ने कहा कि इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और जो कुछ भी करना संभव होगा, वह करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक ग्रेड-1 (ग्रुप-ए), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-3/2023, दिनांक 12.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2024 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-7/2023, दिनांक 09.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2024 को प्रकाशित।

(2) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थानों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान

दिनांक 26-02-2024 को प्रस्तुत मांग संख्याः 09 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)पर आगे चर्चा जारी –

(12.13 बजे अपराह्न श्री नन्द लाल सभापति पदासीन हुए।)

1. **श्री इन्द्र सिंह**

(12.20 बजे अपराह्न सभापति महोदय पदासीन हुए।)

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष महोदय ने सदन में किसी भी माननीय सदस्य के उपस्थित न होने के कारण सदन की बैठक को कोरम पूरा होने तक स्थगित किया।

(02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आसन के प्रति सभी का बहुत सम्मान है उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तुत होने के पश्चात विपक्ष द्वारा दिए गए कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होने के उपरान्त व्यवस्था के अनुसार इस पर मतदान होता है जिस बारे में नियमों में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि जो मुद्दा नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है अगर उसको सही परिवेश में देखें तो अध्यक्ष महोदय का फैसला बिल्कुल सही था क्योंकि कट मोशन पर प्रस्ताव को सदन में वोटिंग के लिए डाला गया था और वॉइस वोट से पहले सभी से अपनी-अपनी सीटों पर बैठने हेतु आग्रह भी किया गया था। उस समय जो नम्बर सत्तापक्ष में था, वह इस वोट में ठीक सैंस

किया गया और माननीय अध्यक्ष की रुलिंग सही थी। इसलिए इस पर जो नेता प्रतिपक्ष आपत्ति उठा रहे हैं, यह नियमों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है।

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि हम सभी आसन का सम्मान करते हैं लेकिन कटौती प्रस्ताव पर डिविज़न ऑफ वोट का सदन में नियम है।

(दोनों पक्षों के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर आपस में नोकझोंक व नारेबाजी करने लगे।)

विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्षपीठ के प्रति टिप्पणी करने पर माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया किः-

> "Whatever acquisitions and insinuations have been made against the Chair by the Members of the Opposition, those will be removed from the record. Since, there seems to be disorder in the House, therefore, I adjourn the House."

02.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 28 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।